

**FORM - III**  
**फर्द अहकाम**  
 (नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर  
 प्रकाश सिंह आदि बनाम राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार श्रीकरणपुर  
 अन्तर्गत धारा आदेश 47 सीपीसी प्रकरण संख्या 16 सन 2024  
 जी.सी.एम.एस. नम्बर

तामिल  
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जलन

नम्बर व तारीख  
अहकाम ती हुकम  
हुकम की तामीन  
में तारी हुक

21.03.2024

प्राची मलकीत सिंह पुत्र करतार सिंह पुत्र कजार सिंह उर्फ वनजारा सिंह जाति रायशिख निवासी वाई नम्बर 15 रानिया तहसील रानिया जिला शिरसा, हरियाणा की ओर से अधिवक्ता श्री योगेश कुमार बंसल ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 47 सीपीसी पेश किया। हरतगत प्रकरण में वर्णित गूमि के संकष में प्रस्तुत कैंविण्टकर्ता अधिवक्ता श्री मनीष जागिड को सूचित किया गया। अधिवक्तागण को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रकरण संख्या 309/2023 अनवान प्रकाश सिंह आदि बनाम राजस्थान सरकार आदि अन्तर्गत धारा 88, 91 आरटीए के पक्षकारान को जरिए नोटिस तलव किया जाकर पत्रावली 18.04.2024 को पेश हो।

↓  
 उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
 श्री करणपुर

२४<sup>०३</sup>/<sub>२४</sub>

आज भू पत्रावली प्राची अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 CPC पेश करने पर पेशी में ली गई। अप्राची अधिवक्ता के द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु सप्रथ चिह्न। पत्रावली वास्तु जवाब प्रार्थना पत्र व तलवी पूर्व दिनांक 18/04/24 को पेश हो ↓

५  
18<sup>५</sup>/<sub>२५</sub>

अधिवक्तागण उपस्थित श्री मान PO महोदय चुनाव कार्य में व्यस्त है पत्रावली दिनांक 14<sup>५</sup>/<sub>२५</sub> को पेश हो 19<sup>५</sup>/<sub>२५</sub>

14<sup>५</sup>/<sub>२५</sub>

अधिवक्तागण उपस्थित। प्राचीगण अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 47 CPC नोटिफिकेशन किया। प्राची अधिवक्ता को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्राची द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 47 CPC नोटिफिकेशन करने पर प्रकरण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली निवृत्ति होकर नम्बर से फर्द होकर वापिस फुटर हो

उक्त पत्रावली  
 18/04/24  
 19/04/24



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
 श्री करणपुर